न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :— 03 / 14 / 2020

1. अमरी देवी पत्नी रामजीलाल
2. ईमला देवी पत्नी रामवीरसिंह
3. जयराम पुत्र रामसहाय
4. रामहेत पुत्र रामसहाय
5. शिवदयाल पुत्र गंगासहाय
6. महिपाल पुत्र बांकेलाल
7. मानसिंह पुत्र बदरीप्रसाद
8. देवीसहाय पुत्र रामधन
9. देवीसहाय पुत्र गोकल
10. धर्मवीर सिंह पुत्र बनेसिह
11. म्हावीर सिह उर्फ मन्नू पुत्र बनेसिह
12. रणवीर सिंह पुत्र बनेसिह
13. मुरारी पुत्र कजोड
14. अंगुरी पत्नी घासीराम
15. बाबूसिह पुत्र बनेसिह
16. चिरंजीलाल पुत्र कुम्भाराम
17. शिवलाल पुत्र कल्याण
18. रामकरण पुत्र हीरालाल
19. रामलाल पुत्र पुन्याराम
20. बन्नाराम पुत्र हारया समस्त जातियान मीना निवासीयान ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर.

प्रार्थीगण

बनाम्

1. मन्दिर मूर्ति नरसिंह भगवान विराजमान देह ढिगावडा तहसील राजगढ
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवरकन्हैया लाल पुत्र रेवडराम जाति मीना ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थित :1. श्री प्रदीप दीक्षित एड0– वादीगण

2. श्री अल्का सैनी एड0 –प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक 08.03.2021**

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 177/0.56, 180, 181, 183, 182, 255, 257, 247/2033, 248, 253, 254, 254/2114, 261, 264/2031, 267, 268, 262, 262/2032, 263, 222, 223, 224, 244, 266, 242, 243, 241, 292, 293, 294, 295, 688 वाके ग्राम ढिगावडा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण 1 लगायत 20 की खातेदारी आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 20 खातेदार काश्तकार है तथा समस्त पैत्रिक आराजी है। जो की प्रार्थीगण को अपने बुर्जगान से प्राप्त हुई है तथा प्रार्थीगण जमाने बुर्जूगान से ही उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मे पहुचने के लिए प्रार्थीगण आवागमन आम रास्ता खसरा नम्बर 151 वाके ढिगावडा से होकर उसके लगते ही तरफ दक्षिण को स्थित खसरा नम्बर 176 वाके ढिगावडा की उत्तरी डोल में होकर, खसरा नम्बर 177 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 256, 258, 259 वाके ग्राम ढिगावडा में होकर हमेशा–हमेशा से मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा रंगसुर्ख में होकर आवागमन हल, बैल आदि ले जाते रहे है। जो रास्ता 7 फिट चौडा हमेशा से आवागमन हेतु उपलब्ध रहा है। जिसमे होकर प्रार्थीगण बुवाई–जुताई समय–समय पर ट्रैक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। जो रास्ता आराजी खसरा नम्बर 177, 178, 179, 256, 258, 259 में आज भी मौजूद है तथा आराजी खसरा नम्बर 176 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पुजारी द्वारा रास्ते को जुताई कर व फसल बुवाई करने में अवरूद्व कर दिया जाता है। जिसके कारण प्रार्थीगण को व्यवधान उत्पन्न होता है। आराजी खसरा नम्बर 177 प्रार्थी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि

है। जो प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने मे होकर रास्ता देने को तैयार व सहमत है। शेष भूमि खसरा नम्बर 178, 179, 256, 258, 259 वाके ग्राम ढिगावडा सरकारी सिवायचक भूमि है।

2 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार राजगढ से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/20/2025 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3 वकील प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 177/0.56, 180, 181, 183, 182, 255, 257, 247/2033, 248, 253, 254, 254/2114, 261, 264/2031, 267, 268, 262, 262/2032, 263, 222, 223, 224, 244, 266, 242, 243, 241, 292, 293, 294, 295, 688 उपरोक्त आराजी वाके ग्राम ढिगावडा में स्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मे पहुचने के लिए प्रार्थीगण आवागमन आम रास्ता खसरा नम्बर 151 वाके ढिगावडा से होकर उसके लगते ही तरफ दक्षिण को स्थित खसरा नम्बर 176 वाके ढिगावडा की उत्तरी डोल में होकर, खसरा नम्बर 177 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर आराजी खसरा नम्बर 178, 179, 256, 258, 259 वाके ग्राम ढिगावडा में होकर हमेशा–हमेशा से मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा रंगसुर्ख में होकर आवागमन हल, बैल आदि ले जाते रहे है। जो रास्ता 7 फिट चौडा हमेशा से आवागमन हेतु उपलब्ध रहा है। जिसमे होकर प्रार्थीगण बुवाई–जुताई समय–समय पर ट्रैक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। जो रास्ता आराजी खसरा नम्बर 177, 178, 179, 256, 258, 259 में आज भी मौजूद है तथा आराजी खसरा नम्बर 176 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पुजारी द्वारा रास्ते को जुताई कर व फसल बुवाई करने में अवरूद्व कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक पहुचने के लिए अन्य कोई विकल्प रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर

पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72, खाता संख्या 177, 180, 97, 415, 280, 204, 230, 373, 379, 137, 394, 597, 313, 297, 608, जमाबंदी सम्वत 2069–75 खाता संख्या 176, 01 नजरी नक्शा वाके ढिगावडा तहसील राजगढ आदि पेश किये है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुये आराजी खसरा नम्बर 151 से होकर उसके लगते ही तरफ दक्षिण को स्थित खसरा नम्बर 176 के उत्तरी डोल में होकर, खसरा नम्बर 177 के उत्तरी पूर्वी कोने से होता हुआ खसरा नम्बर 178, 179, 256, 258, 259 में होकर 15 फिट रास्ता अंकित करने का निवेदन किया।

4 पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों व तहसीलदार राजगढ की मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

> *251–क–अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ*
>
> *(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है: या*
>
> *(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–*
>
> *और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–*

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भुमि को धारित करता, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह स कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30फिट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के सम्बंध में अभिग्रति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5 उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त धारा 251–क दो पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो है–

1 खातेदार की आत्यान्तिक आवश्यकता।

2 रास्ता हेतु अन्य विकल्प की अनुपस्थिति।

6 उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता अंकित की है। तथा पैरा संख्या 6 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया है जिससे इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः शर्त संख्या 1 पूर्णरूप से पुष्टि होती है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी पूर्ववत् कदीमी रास्ते से होकर आते–जाते रहे है अतः शर्त संख्या 1 मुताबिक पत्रावली में अंकित तथ्यों से भी सही पुष्टि प्रतीत होती है।

7. उक्त प्रकरण में धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार राजगढ की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है एवं तहसीलदार राजगढ की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार लघुत्तम मार्ग बतौर रास्ता रिकार्डेड किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा इसी अनुसार तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है इसी

अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)